ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रशासन गाँवों की ओर अभियान 2021

रिपोर्ट पटवारी व भूअभि. महरोली

महोदय,

उपरोक्त विषय में जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है–

श्रीमानजी राजस्व ग्राम अरणिया के भू.अभि.वर्ष 2010-11 भूमि ख.नं. 1567 रकबा 1.00 है. किस्म बाउ की खातेदारी सुखानन्द पुत्र बीसराम नि. [illegible] पाटे [illegible] दर्ज किई है व भूमि ख.नं. 1567/2417 रकबा 0.18 है. किस्म [illegible] की खातेदारी [illegible] दर्ज किई है।
भू.अभि. वर्ष 2062-2072 में गोशरसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजस्व ग्रा. भूधरक भूमि ख.नं. 1567 रकबा 0.89 है. किस्म बाउ दर्ज किई था जिसमें नामा. सं. 1813 दिनांक 3/11/2011 को गोशरसिंह भूमि ख.नं. 1567 रकबा 0.89 है. वे 1.00 है. किस्म बाउ की खातेदारी गोशरसिंह पुत्र कल्याणसिंह से गोशरसिंह पुत्र सुखनसिंह पाटे राजस्व ग्रा. भूधरक दर्ज किया गया है। व भूमि ख.नं. 1567/2417 रकबा 0.27 है. के स्थान पर ख.नं. 1567/2417 का रकबा 0.18 है. दर्ज किया गया है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर पेश है।

ग्राम सेवक
दि. 10.25
उ. महरोली

ह. भूअभि

ह. हल्का पटवारी 3/10/2025
पटवारी अरणिया

रिपोर्ट / अभिशंसा तहसीलदार / नायब तहसीलदार

18
9.10.25

उपरोक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का व ग्राम अधिकारी निरीक्षण व भा.प्रा.सं. 1813 के भू.ख.नं. 1567/2417 के रकबा 0.11 की त्रुटि की अभिशंसा की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसीलदार / नायब तहसीलदार

88/2025
9/10/25

आदेश

(ग्राम दिनांक ..... मुख्यालय ग्राम पंचायत .....)

पटवारी हल्का अरणिया व भू-अभिलेख महरोली की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त चाही गयी नकशा तरमीम की त्रुटि 136 LR Act में नहीं होकर मूलपत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 LR Act के अन्तर्गत पायी जाने से प्रार्थना पत्र 136 LR Act को खारीज किया जाता है। प्राप्त मामलों में उक्त धाराओं [illegible] ग्रहण कर सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पालनार्थ– तहसीलदार / नायब तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.30 12:20:08 IST
Reason: SelfAttested